राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 6040/2024

निर्मला पुरोहित पत्नी जसवंत सिंह, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी 36900 फॉक्स रन, फार्मिंगटन हिल्स, एमआई 48331, यूएसए, अतिरिक्त पता प्लॉट नंबर 72, उम्मेद हेरिटेज, डिफेंस लैब, जोधपुर, राजस्थान

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. विशाल सिंह पुत्र लेफ्टिनेंट श्री रूप सिंह, निवासी कल्याण सिंह जी का कोट, तिंवरी, जिला जोधपुर, राजस्थान

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	सुश्री सपना वैष्णव
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री अरुण कुमार (आर-2)
		सुश्री सोनू मनावत, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>18/09/2024</u>

1. याचिकाकर्ता, 68 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक गृहिणी और संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी, इस न्यायालय के समक्ष भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2)(ए), 62, 318(4), 338, 336(3), 336(4), 340(2), 341(2), 339, 342(1), 342(2) और 351(3) के तहत कथित अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन मथानिया, जिला जोधपुर शहर (पूर्व) में दिनांक 23.08.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 183/2024 को रद्द करने की मांग कर रही है।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि उक्त एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत विशाल सिंह द्वारा दायर आवेदन/शिकायत पर दर्ज की गई थी [धारा 175(3) के अनुरूप सीआरपीसी की धारा 156(3)]। दावा किया गया कि शिकायतकर्ता के पास तिंवरी गांव में खसरा नंबर 519 में 34 बीघा 11 बिस्वा जमीन पर पैतृक और कब्जेदार अधिकार हैं।

शिकायत में कहा गया है कि बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान केवल परदादा के भाई का नाम दर्ज किया गया था, जो वर्तमान में राजस्व न्यायालय ओसिया और सिविल न्यायालय जोधपुर में लंबित है।

2.1 शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि निर्मला पुरोहित याचिकाकर्ता और अन्य ने अपनी अमेरिकी नागरिकता छिपाई और भारत में भूमि खरीद की सुविधा के लिए आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाने और भारतीय नागरिकता का झूठा दावा करने के लिए दूसरों के साथ मिलीभगत की। यह आरोप लगाया गया है कि 17 अप्रैल, 2023 को तहसील तिंवरी में एक फर्जी भूमि समझौता पंजीकृत किया गया था, जो एक अन्य अमेरिकी नागरिक नरपत सिंह राजपुरोहित के पक्ष में था, जिसने भी कथित तौर पर धोखाधड़ी से आधार कार्ड प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता पर खुद को भारतीय नागरिक के रूप में गलत तरीके से पेश करने का आरोप है। इसलिए एफआईआर।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने दोनों विद्वान वकीलों के साथ-साथ विद्वान लोक अभियोजक को भी सुना है और केस फाइल का अध्ययन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान में सिविल मुकदमा ट्रायल कोर्ट में लंबित है, जैसा कि शिकायतकर्ता ने एफआईआर संख्या 183/2024 में स्वीकार किया है। वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने निर्दोष एनआरआई याचिकाकर्ता से पैसे ऐंठने और उसे ब्लैकमेल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से यह एफआईआर दर्ज कराई है। वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान एफआईआर स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने आग्रह किया कि एफआईआर, जांच और उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

4.1 याचिकाकर्ता वकील यह तर्क देंगे कि आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए दस्तावेज़ वास्तविक हैं और कानूनी रूप से प्राप्त किए गए हैं। आधार दिशा-निर्देशों में हाल ही में किए गए बदलावों से एनआरआई को अपनी जानकारी को निकटतम आधार सेवा केंद्र या यूआईडीएआई वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑफ़लाइन या ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति मिलती है, जिससे आधार नामांकन के लिए अनिवार्य 182-दिवसीय निवास अवधि की पिछली आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 16 जनवरी, 2024 को अद्यतन किए गए आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 की अनुसूची I में फॉर्म 1, घोषणा (सी) में निर्दिष्ट करता है कि एक एनआरआई पहचान के लिए वैध भारतीय पासपोर्ट का

उपयोग कर सकता है। इसी तरह, फॉर्म 2 के लिए भी केवल वैध भारतीय पासपोर्ट की आवश्यकता होती है।

5. विद्वान सरकारी वकील ने शुरू में ही प्रस्तुत किया कि एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद कानून अपना काम करेगा और इस न्यायालय की कोई भी दलील उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जांच के बाद यह पाया जाता है कि कोई अपराध नहीं किया गया है, तो सक्षम न्यायालय के समक्ष कानून के अनुसार उचित रिपोर्ट दायर की जाएगी।

5.1 इसके विपरीत, यदि याचिकाकर्ता किसी अपराध में शामिल पाया जाता है, तो उसे आरोपों का सामना करना होगा और मुकदमे में अपना पक्ष साबित करना होगा।

6. शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने कहा कि आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 और यूआईडीएआई द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, किसी निवासी को आधार नामांकन के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीनों के भीतर कम से कम 182 दिनों के लिए भारत में शारीरिक रूप से निवास करना चाहिए। वकील ने तर्क दिया कि आरोपी ने गलत जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करके धोखाधड़ी से आधार कार्ड प्राप्त किया, जो आधार अधिनियम के तहत अपराध है।

6.1 इसके अलावा, वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियुक्तों ने अपने निवास की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी की, जो कि बी.एन.एस. की धारा 318(4) और 336(3) के तहत दंडनीय है। इस धोखाधड़ीपूर्ण गलत बयानी ने उन्हें आधार कार्ड हासिल करने और विवादित संपत्ति की अवैध बिक्री में मदद की, जो स्पष्ट रूप से इस अपराध के मापदंडों के अंतर्गत आता है।

7. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने और केस फाइल और एफआईआर के अवलोकन के बाद, शिकायतकर्ता के रुख से उभरने वाला सार यह है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने आधार कार्ड जारी करवाते समय तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, इसलिए उसने बी.एन.एस. की धारा 318(4) के तहत व्यक्तिगत लाभ के लिए जालसाजी का अपराध किया है।

8. आगे बढ़ने से पहले, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 318 की उप-धारा (1) और (4) के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उपयोगी होगा, जिन्हें तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

318. धोखाधड़ी.-

(1) जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखाधड़ी से या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या सहमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर उस व्यक्ति को कुछ करने या करने से मना करने के लिए प्रेरित करता है जो वह नहीं करता या नहीं करता अगर उसे इस तरह से धोखा नहीं दिया गया होता, और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में क्षति या हानि पहुंचाने की संभावना है, उसे धोखा कहा जाता है।

स्पष्टीकरण.- तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के भीतर एक धोखा है।

xxx xxxx xxxx

(4) जो कोई धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से उस व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंप दे, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी हस्ताक्षरित या मुहरबंद वस्तु के पूरे या किसी भाग को बनाए, बदले या नष्ट करे, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित की जा सकती है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

xxx xxx xxxx

9. शिकायत में सुसंगत आरोपों के आधार पर शिकायतकर्ता के विद्वान वकील का यह निवेदन है कि याचिकाकर्ता-आरोपी ने अपने निवास की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए, धोखाधड़ी से आधार कार्ड प्राप्त किया/अधिग्रहित किया, जिससे विवादित संपत्ति की अवैध बिक्री संभव हुई, जो उसे बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी बनाती है।

10. मैं उनकी उपरोक्त दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। बीएनएस की धारा 318 की उपधारा (1) और (4) की स्पष्ट भाषा से पता चलता है कि उपधारा (4) की प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले; अभियुक्त द्वारा किया गया धोखा धोखा दिए गए व्यक्ति को ऐसा कार्य करने या करने की मंशा से रोके, जो वह नहीं करता या करने की मंशा नहीं करता यदि उसे धोखा नहीं दिया जाता और

दूसरी बात; ऐसा धोखा उस व्यक्ति (अर्थात धोखा दिए गए व्यक्ति) को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में क्षति या नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाने की संभावना है।

11. इस मामले में, याचिकाकर्ता-आरोपी ने कथित रूप से अपने निवास की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी की और धोखाधड़ी से गलत जानकारी देकर आधार कार्ड हासिल किया। मेरे विचार से, याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा कथित रूप से गलत जानकारी दिए जाने के आधार पर संबंधित लोक प्राधिकरण/सेवक द्वारा याचिकाकर्ता को आधार कार्ड जारी करना, अपने आप में, संबंधित लोक प्राधिकरण/सेवक को शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नुकसान या हानि पहुँचाने या पहुँचाने की संभावना नहीं कहा जा सकता है। इस मामले के मद्देनजर, मेरा मत है कि प्रथम दृष्टया एफआईआर बीएनएस की धारा 318 उप-धारा (4) के तहत अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है।

12. उपधारा (4) के आलोक में शिकायतकर्ता के तथ्यात्मक कथन का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जहां तक शिकायतकर्ता का संबंध है, उसके द्वारा कोई गलत बयानी या प्रतिरूपण नहीं किया गया है। इस सीमा तक, ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है जिससे उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचे।

13. जहां तक याचिकाकर्ता पर लगाए गए अन्य अपराधों का सवाल है, एफआईआर में लगाए गए आरोपों में कोई भी आवश्यक तत्व, जो अनिवार्य हैं, नहीं पाया गया है।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है, और मेरी राय में, यह सही है, कि शिकायतकर्ता ने निर्दोष एनआरआई याचिकाकर्ता से पैसे ऐंठने और उसे ब्लैकमेल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से यह एफआईआर दर्ज कराई है। मुझे ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच संपत्ति को लेकर विवाद पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है, जिसके लिए वे पहले से ही सिविल कोर्ट में मुकदमा कर रहे हैं। सिविल विवाद को आपराधिक रंग दिया गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है।

15. जैसा कि याचिका में कहा गया है, सिविल मुकदमा वर्तमान में ट्रायल कोर्ट में लंबित है, जिसे शिकायतकर्ता ने एफआईआर संख्या 183/2024 में स्वयं स्वीकार किया है। यह दोनों पक्षों के पारस्परिक अधिकारों का निर्धारण करेगा।

16. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है और पुलिस स्टेशन मथानिया, जिला जोधपुर शहर (पूर्व) में पंजीकृत एफआईआर संख्या 183/2024 दिनांक 23.08.2024 को याचिकाकर्ता के खिलाफ खारिज किया जाता है।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।